REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256808 CG-DL-E-31082024-256808

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] No. 490]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/ भाद्र 8, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/ BHADRA 8, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 530 (अ).—केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि) नियम,2024 का प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करती है, जो भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, सा.का.नि.365 (अ) तारीख 4 जुलाई, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i), तारीख 4 जुलाई, 2024 के अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षानुसार प्रकाशित किया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 जुलाई, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है; अत: अब, केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2024, (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम, 523 और 527 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ऐसी व्यवस्था के समाप्ति की तारीख तक उन नियमों के अधीन विद्यमान व्यवस्थाओं के निबंधन और शर्तों के अध्यारोही प्रभाव के बिना, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्रशासक" से डिजिटल भारत निधि के प्रशासन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त डिजिटल भारत निधि का प्रशासक अभिप्रेत है;
- (ग) "करार" से प्रशासक और डिजिटल भारत निधि के एक या अधिक कार्यान्वयनकर्ता के बीच डिजिटल भारत निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया संविदात्मक करार अभिप्रेत है;
- (घ) "बोली" से बोलियाँ प्राप्त करके माल या सेवाओं की खरीद या कार्यों का निष्पादन के लिए कार्यान्वयनकर्ता का चयन करने की एक प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (ङ) "डिजिटल भारत निधि" से इस अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित डिजिटल भारत निधि अभिप्रेत है;
- (च) "कार्यान्वयनकर्ता" से ऐसे व्यक्ति जिसके साथ प्रशासक ने कोई समझौता किया है अभिप्रेत है; और
- (ज) "उद्देश्य" से अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत खंड (क) से (घ) में उल्लिखित कोई भी या सभी उद्देश्य अभिप्रेत हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. प्रशासक की शक्तियाँ और कार्य—(1) डिजिटल भारत निधि के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रशासक नियम 7 के उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट बोली लगाने या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से या उक्त नियम के उप नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट नामांकन की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करेगा।

- (2) प्रशासक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे: -
 - (क) निबंधनों एवं शर्तों सहित बोली लगाने की प्रक्रियाएँ, आवेदन का प्रारूप, पात्रता मानदंड और ऐसी बोली के अनुसरण में कार्यान्वयनकर्ताओं के चयन के लिए मूल्यांकन मानदंड विरचित करना।
 - (ख) कार्यान्वयनकर्ताओं के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया विरचित करना;
 - (ग) कार्यान्वयनकर्ताओं के साथ करार करना;
 - (घ) दावों का निपटारा करना तथा डिजिटल भारत निधि से कार्यान्वयनकर्ता को निधि संवितरित करना;
 - (ङ) समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार मध्यस्थता, मध्यस्थम, सुलह या न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से कार्यान्वयनकर्ता के साथ विवादों का निपटारा करना;
 - (च) किसी तीसरे पक्ष की अभिकरणों सहित किसी सक्षम निकाय के माध्यम से कार्यान्वयनकर्ता द्वारा किए गए कार्य की निगरानी, मूल्यांकन या सत्यापन करना;

- (छ) कार्यान्वयनकर्ता द्वारा बनाए रखे जाने तथा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूपों सहित प्रक्रियाओं और अभिलेखों को विनिर्दिष्ट करना;
- (ज) स्कीमों और परियोजनाओं की योजना, विनिर्माण, संविदा प्रबंधन, मध्यावधि पुनर्विलोकन, सत्यापन, निगरानी, वित्तपोषण, मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और प्रबंधन के प्रयोजन से परामर्शदाता, सलाहकार या इकाई सहित कार्मिकों को नियुक्त करना;
- (झ) डिजिटल भारत निधि से वितरित निधियों से निर्मित आस्तियों से संबंधित निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (ञ) डिजिटल भारत निधि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पायलट अध्ययन करना;
- (ट) कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने, संपर्क, रिपोर्टिंग और निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाना; और
- (ठ) केंद्रीय सरकार द्वारा डिजिटल भारत निधि के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्य करना।

(3) प्रशासक इन नियमों के पर्याप्त प्रशासन के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति अन्यून लिखित आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को नामित कर सकता है।

4. डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषण- (1) अधिनियम की धारा (25) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल भारत निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से स्कीमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ताओं को डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

(2) डिजिटल भारत निधि के अधीन वार्षिक संग्रह के प्रतिशत के रूप में निधियों का उपयोग, जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रशासक विनिर्दिष्ट करेगा, अधिनियम की धारा (25) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

(3) स्कीमों और परियोजनाओं के लिए डिजिटल भारत निधि से प्रदत्त वित्तपोषण की रूपरेखा प्रशासक द्वारा मामले के आधार पर अवधारित की जा सकती है, जिसमें पूर्ण वित्तपोषण, आंशिक वित्तपोषण, सह-वित्तपोषण, बाजार जोखिम शमन, जोखिम पूंजी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(4) डिजिटल भारत निधि समाज के अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त समूहों जैसे महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्कीमों और परियोजनाओं को निधि उपलब्ध कराएगा।

(5) कार्यान्वयनकर्ताओं को करार में विनिर्दिष्ट अंतरालों और शर्तों के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

5. डिजिटल भारत निधि के अधीन स्कीमों और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड –प्रशासक डिजिटल भारत निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से स्कीमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पर विचार करेगा: -

- (क) मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं का उपबंध और अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की प्रदायगी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण;
- (ख) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए दूरसंचार नेटवर्क का सृजन;
- (ग) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में अगली पीढ़ी तक दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत;
- (घ) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में उन्नत दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना या सुधार लाना;
- (ङ) अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की वहनीयता में सुधार;

- (च) नवाचार, अनुसंधान और विकास, संवर्धन और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और संबद्ध बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही जहां भी आवश्यक हो नियामक सैंडबॉक्स का सृजन;
- (छ) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और उनके मानकीकरण को पूरा करने के लिए सुसंगत मानकों को विकसित और स्थापित करना;
- (ज) दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना;
- (झ) दूरसंचार ईको-प्रणाली के क्षमता निर्माण और विकास के लिए शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच तालमेल बनाना;
- (ञ) दूरसंचार सेवाओं के अभिगम में सुधार के लिए नए तकनीकी सॉल्यूशन सृजित करना और नई तकनीकों को तैनात करना;
- (ट) दूरसंचार क्षेत्र में टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना; और
- (ठ) आत्मनिर्भर भारत के लिए दूरसंचार विकास, दूरसंचार अनुसंधान और विकास, र्स्टाटअप और दूरसंचार अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एक व्यक्ति को नियुक्त कर उसे वित्त उपलब्ध कराना।
- (ड) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशासक द्वारा अवधारित ऐसे अन्य आवश्यक मानदंड।

6. डिजिटल भारत निधि के अधीन स्थापित दूरसंचार नेटवर्क का साझाकरण- दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि से निधि प्राप्त करने वाला कोई भी कार्यान्वयनकर्ता ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को साझा करेगा और उपलब्ध कराएगा और इस दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके जो भी दूरसंचार सेवाएँ प्रदान की जा रहीं हैं वह पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाएंगी तथा उनको प्रशासक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुसरण भी करना होगा।

7. कार्यान्वयनकर्ता की चयन प्रक्रिया – (1) डिजिटल भारत निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए कार्यान्वयनकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया **सारणी-क** के अनुसार होगी:

क्र.सं.	वित्तपोषण के क्षेत्र	चयन प्रक्रिया
1.	अपेक्षा से कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और प्रदायगी को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना जिसमें परामर्श तथा सलाहकारी सहायता भी शामिल हैं।	बोली प्रक्रिया द्वारा चयन
2.	अनुसंधान परियोजना और पायलट, सह-वित्तपोषण, व्यवाहार्यता अंतराल वित्तपोषण और वाणिज्यिकरण के लिए जोखिम पूंजी तक सीमित न रहते हुए इनके माध्यम से नई और उभरती हुई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों या उत्पादों या सेवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना।	

सारणी-क

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजन के लिए "आवेदन द्वारा चयन" से तकनीकी पैरामीटर के आधार पर, हित के प्रस्ताव या प्रस्ताव की मांग के माध्यम से किसी कार्यान्वयनकर्ता के चयन की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, प्रशासक, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी विशेष परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए, डिजिटल भारत निधि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में परियोजनाओं और स्कीमों के निष्पादन के लिए नामांकन द्वारा कार्यान्वयनकर्ता का चयन कर सकता है।

> [फा. सं. डीओटी/यूबीबी/2024-1/दूरसंचार अधिनियम 2023-नियम] देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Department of Telecommunication)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2024.

G.S.R. 530 (E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Digital *Bharat Nidhi*) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 26 read with clause (x) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2024 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of the section 56 of the said Act *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Communication, Department of Telecommunication number G.S.R. 365(E), dated the 4th July, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 4th July, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 4th July, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 read with clause (x) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2024 (44 of 2023), and in supersession of rules 523 and 527 of the Indian Telegraph Rules, 1951, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing arrangements under those rules till the date of expiry of such arrangements, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Telecommunications (Administration of Digital *Bharat Nidhi*) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "Administrator" means the Administrator of the Digital *Bharat Nidhi* appointed by the Central Government, by notification in Official Gazette, for the administration of the Digital *Bharat Nidhi*;

(c) "agreement" means a contractual agreement made between the Administrator and one or more Implementers, to implement schemes and projects for the purpose of achieving the objectives of the Digital *Bharat Nidhi*;

(d) "bidding" means the process of selecting an Implementer for procurement of goods or services or execution of works, by calling for bids;

(e) "Digital *Bharat Nidhi*" means the Digital *Bharat Nidhi* established under sub-section (1) of section 24 of the Act;

(f) "Implementer" means any person with whom the Administrator has entered into an agreement; and

(g) "objective" means any or all of the objectives mentioned in the clauses (a) to (d) of section 25 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Powers and functions of Administrator.— (1) The Administrator shall select Implementers through the process of bidding or inviting applications from eligible persons as specified in sub-rule (1) of rule 7, or through the process of nomination as specified in sub-rule (2) of the said rule, for the purpose of achieving the objectives of Digital *Bharat Nidhi*.

(2) The Administrator shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to formulate the procedure for bidding including its terms and conditions, format of application, eligibility criteria and evaluation criteria for selection of Implementers pursuant to such bidding;

(b) to formulate the procedure for inviting and evaluating applications for selection of Implementers;

(c) to enter into agreement with Implementers;

(d) to settle claims and disburse funds from the Digital Bharat Nidhi to Implementers;

(e) to settle disputes with Implementers through mediation, arbitration, conciliation or judicial proceeding, as may be provided for in the agreement;

(f) to monitor, evaluate or verify the work done by Implementers through any competent body including any third-party agencies;

(g) to specify procedures and records, along with formats, to be maintained and furnished by Implementers;

(h) to engage persons including consultants, advisors or an entity for the purpose of planning, formulation, contract management, midterm review, verification, monitoring, financing, evaluation, impact assessment and management of schemes and projects;

(i) to specify the terms and conditions relating to the assets created from the funds disbursed from the Digital *Bharat Nidhi*;

(j) to undertake pilot study, pursuant to achieving the objectives of the Digital Bharat Nidhi;

(k) to create a digital portal to enable Implementers and other stakeholders to provide services, facilitate interaction, reporting and monitoring of schemes and projects; and

(1) to perform such other functions as may be assigned by the Central Government for the purposes of achieving the objectives of the Digital *Bharat Nidhi*.

(3) The Administrator may, by order in writing, designate any officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, for the efficient administration of these rules.

4. Funding from Digital *Bharat Nidhi.*-(1) Funding from the Digital *Bharat Nidhi* shall be provided to Implementers to implement schemes and projects for the purpose of achieving the objectives of the Digital *Bharat Nidhi* as specified under section 25 of the Act.

(2) Funds, in terms of a percentage of annual collection under the Digital *Bharat Nidhi*, as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, specify, shall be utilised for achieving the objectives specified under clause (b) of the section 25 of the Act.

(3) The modalities for funding provided from the Digital *Bharat Nidhi* for schemes and projects, may be determined by the Administrator on a case-to-case basis, including but not limited to full funding, partial funding, co-funding, market risk mitigation or risk capital.

(4) The Digital *Bharat Nidhi* shall fund schemes and projects for providing targeted access to telecommunication services for underserved groups of the society, such as, women, persons with disabilities and economically and socially weaker sections.

(5) The funds shall be released to the Implementers in such manner, at such intervals and subject to such conditions, as may be specified in the agreement.

5. Criteria for undertaking schemes and projects under Digital *Bharat Nidhi.*— The schemes and projects for the purposes of achieving the objectives of the Digital *Bharat Nidhi*, shall meet one or more of the following criteria, namely:—

(a) to provision telecommunication services, including mobile and broadband services and telecommunication equipment required for delivery of telecommunication services, and enhancing telecom security in underserved rural, remote and urban areas;

(b) to create telecommunication network for provisioning of telecommunications services, including mobile and broadband services, in underserved rural, remote and urban areas;

(c) to introduce next generation telecommunication technologies in underserved rural, remote and urban areas;

(d) to provide or improve access to advanced telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas;

(e) to improve affordability of telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas;

(f) to promote innovation, research and development, promotion and commercialisation of indigenous technology development and associated intellectual property including creation of regulatory sandboxes, where necessary;

(g) to develop and establish relevant standards to meet national requirements and their standardisation in international standardisation bodies;

(h) to encourage start-ups in telecommunications sector;

(i) to create bridge between the academia, research institutes, start-ups and industry for capacity building and development of telecom ecosystem;

(j) to create new technological solutions and deploy new technologies for improving access to telecommunications services;

(k) to promote sustainable and green technologies in telecommunications sector;

(l) to establish or fund any person to promote telecommunications growth, telecommunications research and development, standards, start-ups and telecom manufacturing facilities towards *Atmanirbhar Bharat*;

(m) such other criteria as may be determined by the Administrator as deemed necessary to meet the objectives of the Act.

6. Sharing of telecommunication networks established under Digital *Bharat Nidhi.*— Any Implementer, receiving funding from the Digital *Bharat Nidhi* for establishing, operating, maintaining or expanding a telecommunication network, shall share and make available such telecommunication network and telecommunication services, being delivered using the telecommunication networks on an open and non-discriminatory basis, and in accordance with the instructions issued by the Administrator from time to time in this behalf.

7. Selection process of Implementer. -(1) The process for selection of Implementers for the purposes of achieving the objectives of the Digital *Bharat Nidhi*, shall be in accordance with **Table-A**:

Table-A

S. No.	Area of funding	Process of selection
1.	Promote and support Telecommunication services for promoting access to and delivery of established telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas, including consultancy assistance and advisory support	Selection by bidding
2.	Promote and support Research and development of new or emerging telecommunication technologies or products or services through, but not limited to, research projects and pilots, co- funding, viability gap funding, and risk capital upto to commercialisation.	Selection by application

Explanation.— For the purposes of this regulation, "selection by application" means the process of selecting an Implementer through a call for proposal or expression of interest, on the basis of technical parameters.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Administrator may, for reasons to be recorded in writing, to address any special circumstances and with the approval of the Central Government, select an Implementer by nomination for the execution of projects and schemes in furtherance of the objectives of Digital *Bharat Nidhi*.

[F. No. DoT/UBB/2024-1/TelecomAct2023-Rules]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.